Success Stories

वृद्ध पिता को भरण-पोषण न कर घर से निकाल देने के मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर के सचिव द्वारा की गयी कार्रवाई का सार्थक परिणाम देखने को मिला है । आवेदक श्री गुरूशरण महतो पे0- स्व सौखी महतो, नगर थाना क्षेत्र के मगरदहीघाट वार्ड नं-18, थाना+जिला- समस्तीपुर के निवासी है । इन्होने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर के सचिव के समक्ष दिये गये आवेदन में कहा था कि **इनके पुत्र अशोक कुमार भरण-पोषण नही करते हैं** ।

तत्पश्चात् जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर के सचिव द्वारा संज्ञान लिये जाने के बाद गुरूशरण महतो एवं उनके पुत्र ने एक **समझौता-पत्र दाखिल** कर कहा कि अब वह अपने पिता का भरण-पोषण एवं सेवा-सुश्रुषा करता है । इस प्रकार अब आवेदक को अपने पुत्र से कोई शिकायत नही है ।

इस तरह एक बेसहारा बुजुर्ग पुरूष को जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर के द्वारा उभय पक्षों के बीच समझौता कराकर वाद निष्पादन कराने में सफल रहा ।